निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 17 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपनिदेशक, रेशम, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपनिदेशक, रेशम, हल्द्वानी के माह 12/2014 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 01/06/2018 से 06/06/2018 तक श्री नीरज चूंगू,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण मेंसम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री जयंत प्रकाश वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.12.2014 से 23.12.2014 तक श्री आर0 एस0 नेगी-II,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2008 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**जिला नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के अंतर्गत रेशम उत्पादन हेतु

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	11141038	11141038	17991319	17991319	-	-
2015-16	-	-	11930100	11930100	6107943	6107943	-	-
2016-17	-	-	16999768	16999768	2440998	2440998	-	-
2017-18	-	-	18789260	18789260	2388000	2388000	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत (-) `
2014-15	---	0	0	0	0	0
2015-16	---	0	0	0	0	0
2016-17	एस. सी. एस. पी. योजना	0	34895900	16930494	0	17965406
2017-18	टी.एस.पी.योजना	0	55385222	8844737	0	46540485
2017-18	आर.के.वी.वाई.	0	6041800	900000	0	5141800

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

रेशम निदेशालय उत्तरखण्ड, स्वीकृत विभागीय ढांचा

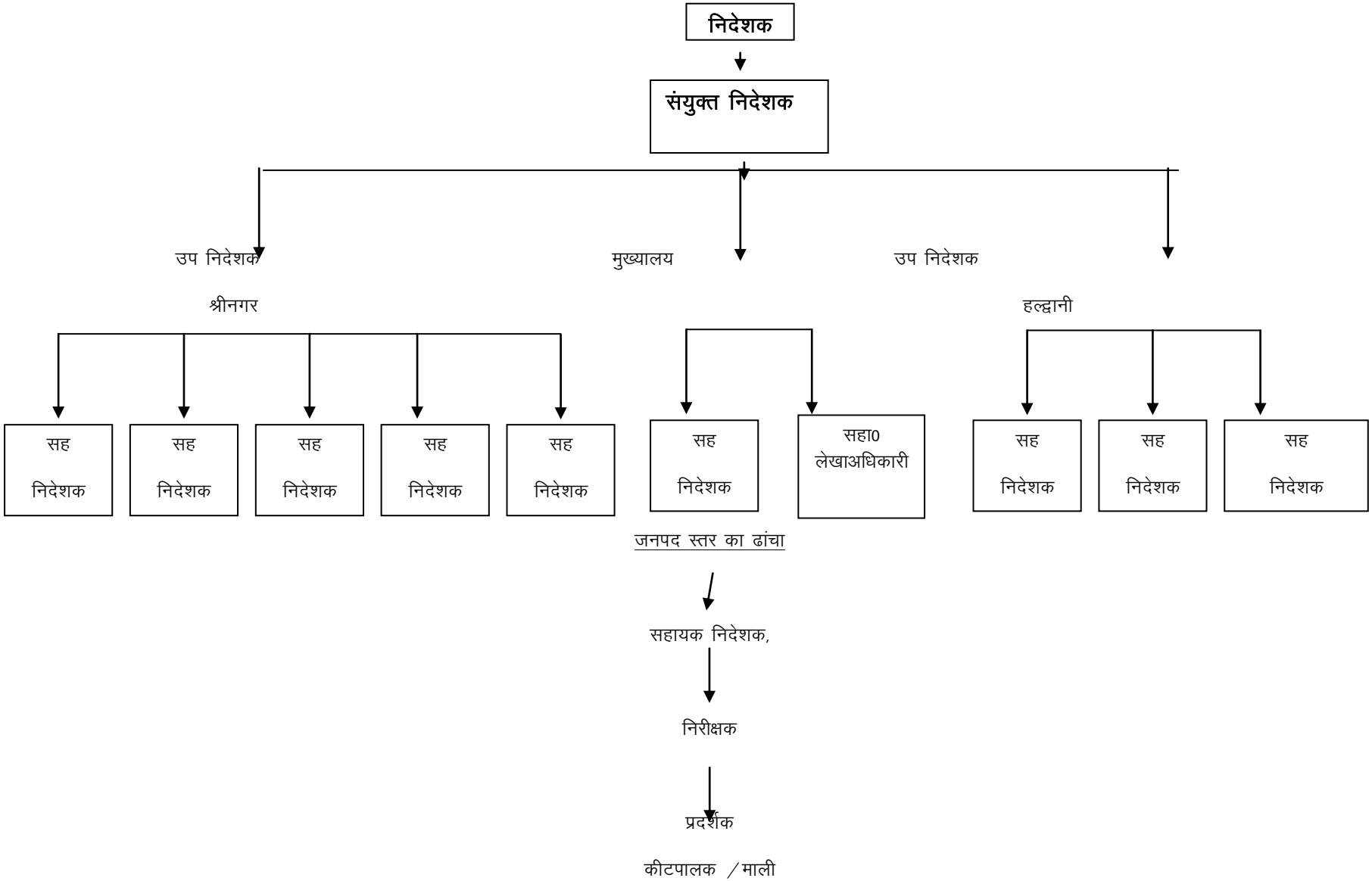

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **उपनिदेशक, रेशम , हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन में **उपनिदेशक, रेशम , हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1 : एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत `453.40 लाख लागत से नैनीताल मे Mulberry क्लस्टर रामनगर kotabagh प्रोजेक्ट की भौतिक व वित्तीय प्रगति प्रोजेक्ट मे निर्धरित लक्ष्य/समय अवधि के अनुसार नहीं होना तथा आतिथि में कृषको को योजना अनुसार आय का लाभ प्राप्त न होना।

वर्ष 2015 से सी० डी० पी० योजना को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर सी०एस०एस० (80:10:10 केन्द्र: राज्य: लाभार्थी के अनुपात) योजना को पुनर्गठित किया गया है। कार्यालय के अभिलेखो के अनुसार 2015-16 से 2017-18 तक एस0सी0एस0पी0 मे कुल 2 प्रोजेक्ट (विवरण सल्गनक 1 के अनुसार) को भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी। लेकिन उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार कार्यालय द्वारा इन प्रोजेक्ट की प्रारम्भिक कार्य / योजना नहीं बनाई गई थी और न ही इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समय का आक्लन सही निर्धरित किया गया था जिस कारण से एक प्रोजेक्ट पर प्रारम्भिक कार्य ही चल रहा है व प्रगति पर है। कार्यालय मे अभिलेखो की जांच मे योजना के क्रियान्वयन मे निम्न तथ्य प्रकाश मे आये:

- वर्ष 2016-17 मे एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत `453.40 लाख लागत से नैनीताल मे Mulberry क्लस्टर रामनगर kotabagh का प्रोजेक्ट वर्ष 2016-17 मे पूर्ण किया जाना था जो कि आतिथि में भी अपूर्ण/प्रगति पर है। निदेशालय व कार्यालय के अभिलेखो मे पाया गया कि इस कार्यक्रम मे अमुक्त की गयी धनराशि `373.95 लाख के सापेक्ष मात्र `169.30 लाख का व्यय किया गया है। अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि यू0सी0आर0एफ़ को स्वीकृत एस०सी०एस०पी० कार्यकम 2016-17 के अंतर्गत 10/03/2017 को `25 लाख की धनराशि ककून क्रय किए जाने हेतु हस्तांतरित किया गया था लेकिन उनके द्वारा उक्त धनराशि का भी उपयोग नहीं किया गया था और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र आतिथि तक कार्यालय अथवा निदेशालय को उपलब्ध कराया था जबकि इन कार्यक्रम पर निदेशालय द्वारा `169.30 लाख व्यय के सापेक्ष भारत सरकार को वित्तीय नियमो के विरूद `373.95 लाख की यू०सी० जारी कर दी थी। गाइडलाइंस व निदेशालय द्वारा दिये गए निर्देशों के विरूद्ध कार्यालय द्वारा कार्यक्रम हेतु अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज `14.15 लाख को निदेशालय को और निदेशालय द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र मे सम्मिलित नहीं किया गया था।

- कार्यक्रम के अभिलेखो मे आगे पाया गया कि वर्ष 2016 -17 मे 87 व 2017-18 मे 113 कृषको का चयन किया गया था लेकिन उन मे से मात्र 92 कृषको[1] के साथ एग्रीमेंट किया गया था जबकि नियम अनुसार चयन किये गये 200 कृषको के साथ एग्रीमेंट किया जाना चाहिये था।
- कार्यालय द्वारा 200 कृषको की 200 एकड़ भूमि मे पौध रोपण वर्ष 2016-17 व 2017-18 मे किया गया था। नियम अनुसार उक्त भूमि पर @300 प्रति एकड़ + 20% गेप फिलिंग के अनुसार आतिथि तक कुल 62580 पौध रोपण (87 एकड़ हेतु 23900+ 4780 गेप फिलिंग + 113 एकड़ हेतु 33900 पौध) किया जाना था लेकिन कार्यालय द्वारा 79372 पौध का क्रय किया तथा योजना के दिशानिर्देशों के विरुद 16792 पौध (16792 पौध @4.5= `75564+ दुलान पर व्यय) का रोपण पूर्व मे संचालित अन्य योजना की गैप फिलिंग मे किया। इसके अतिरिक्त 200 मे से मात्र 48 कृषको को ही पौध रोपण हेतु सहायता अनुदान दिया गया था।
- कार्यक्रम मे स्वीकृत प्रोजेक्ट के अनुसार 2 सी0आर0सी भवन बनाए जाने थे जिसके लिए कार्यालय को 12/2016 व 03/2017 मे `20 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी लेकिन उक्त सी0आर0सी0 भवनो के निर्माण कार्य प्रारम्भ आतिथि तक नहीं हुए थे। आगे अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि इन भवनो के निर्माण हेतु कार्यालय के पास मात्र 1 के लिए भूमि (1/2018 से) उपलब्ध है लेकिन भूमि उपलब्ध होने के 6 महीने उपरांत भी कार्यालय द्वारा सी0आर0सी0 भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी इकाई से आतिथि तक आगणन नहीं बनवाया गया था।
- एस०सी०एस०पी० गाइड लाइंस के अनुसार Revenue expenditure धनराशि प्राप्त किये जाने के उपरांत 3 माह मे व्यय किया जाना था जबकि अभिलेखो मे पाया गया कि कृषको के प्रशिक्षण, भ्रमण, resource centre मद मे आतिथि तक कोई व्यय नहीं किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध पर पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि योजना मे प्रावधानित आउट कम वर्ष 2021-22 तक प्राप्त होने की संभावना है समस्त कृषको के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही की जायगी, चाकी गृह को अतिशीघ्र पूर्ण करवा लिया जायेगा, मात्र 48 कृषको द्वारा गेप फिलिंग करी है जिसके लिए उन्हे सहायता अनुदान दिया गया है शेष द्वारा गेप फिलिंग की जानी है, सी०आर०सी० आगणन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है, तथा अतिशीघ्र कार्ययोजना

[1] जिन को चाकी गृह (rearing हाउस) के लिए अनुदान दिया गया था

बनाकर प्रशिक्षण दिया जायेगा कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपति की पुष्टि करता है कि कार्यक्रम की भौतिक व वित्तीय प्रगति प्रोजेक्ट मे निर्धरित लक्ष्य/समय अवधि के अनुसार नहीं थी जिस कारण से आतिथि मे कृषको को योजना अनुसार आय का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

अत: एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत `453.40 लाख लागत से नैनीताल मे Mulberry क्लस्टर रामनगर kotabagh प्रोजेक्ट की भौतिक व वित्तीय प्रगति प्रोजेक्ट मे निर्धारित लक्ष्य/समय अवधि के अनुसार नहीं होना तथा आतिथि मे कृषको को योजना अनुसार आय का लाभ प्राप्त न होने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

वर्ष	परियोजना का नाम	अवधि	स्वीकृत लागत	लागत का अनुपात			निदेशालय को कुल अवमुक्त धनराशि	निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि		व्यय	
	एससीएसपी के अंतर्गत			केन्द्र	राज्य	लाभार्थी	केन्द्र अंश	कार्यालय को	यूसीआरएफ़ को	कार्यालय	यूसीआरएफ़
2016-17	1 Mulberry क्लस्टर रामनगर kotabagh नैनीताल	2016-17	`453.40 लाख (200 लाभार्थी)	`419.11 लाख	शून्य	`34.29 लाख	`373.95 लाख	`348.95 लाख	`25 लाख	`169.30 लाख	शून्य
2017-18	2 Mulberry क्लस्टर रामनगर kotabagh नैनीताल	2017-18	`346.766 लाख (140 लाभार्थी)	`281.167 लाख	`36.749 लाख	`28.849 लाख	`235.97 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

\

भाग–दो (ब)

प्रस्तर–2: केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना (CDP) **मे अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) प्रेषित नहीं किया जाना तथा योजना की** धनराशि पर अर्जित ब्याज रू0 **36.28** लाख को **सेविंग बैंक अकाउंट में** अवरूद्ध रखा जाना।

कार्यालय उपनिदेशक, रेशम, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा नमूना जॉच (माह 06/2018) में पाया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) की सहायता से प्रदेश में केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना (CDP) का संचालन किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य में नये रेशम क्लस्टर विकसित कर लाभार्थियों को वृक्षारोपण, कीटपालन भवन तथा कीटपालन उपकरण आपूर्ति हेतु सहायता उपलब्ध कराई गयी। 12वी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक केंद्रीय रेशम बोर्ड की सहयाता से प्रदेश मे सी० डी० पी० योजना का संचालन (90:10 के अनुपात) मे किया गया। लेकिन वर्ष 2015-16 से उपरोक्त सी० डी० पी० योजना को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर सी०एस०एस० (80:10:10 केन्द्र: राज्य: लाभार्थी के अनुपात) योजना को पुनर्गठित किया गया। केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में उपरोक्त कैटेलिटिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16में रू0 188.77 लाख की धनराशि उपनिदेशक, रेशम, हल्द्वानी कार्यालय को आवंटित/प्राप्त हुई थी। परन्तु उक्त योजना मे अवमुक्त की गयी धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) निदेशालय कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया था |

योजना सम्बन्धी अभिलेखो की जांच में आगे पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक अवमुक्त धनराशि को कोषागार से अलग सेविंग बैंक अकाउंट [कार्पोरेशम बैंक, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी सेविंग अकाउण्ट No. SB /01/001433 (New No. 520101202299453)] मे रखा जा रहा था जबकि सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 55/XXVII(14)/2010 दिनांक 11 जून 2011 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को प्रेषित है के द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-99/XXVII(14)/2009 दिनांक 3 सितंबर 2009 पत्र संख्या 158/XXVII(14)/2009 दिनांक 27-11-2009 तथा पत्र संख्या 225/XXVII(14)/2010 दिनांक 22 मार्च 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विभाग को शासकीय धन को जमा करने हेतु अनिवार्य रूप से राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के लिए समेकित निधि से आहरण तब किया जाय जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो के सिद्धांत पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, परियोजनाओं, परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में व्यक्तिगत खाता (पी0एल0ए0) यदि पूर्व में न खुला हो तो एक सप्ताह के अंदर खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियाँ जो बैंक में रखी गयी हो अथवा सावधि (फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी हों, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी0

एल0 ए0 में जमा कर दिया जाये। पी0 एल0 ए0 से तत्काल आवश्यकता की ही धनराशियाँ समान्य जमा या सावधि जमा में न की जायें। इस सन्दर्भ मे योजनाओ के लिए अवमुक्त धनराशि के शासनादेश मे भी बार बार दिशा निर्देश दिया गये थे लेकिन इकाई द्वारा आबंटित/अवमुक्त धनराशि को कोषागार से अलग सेविंग बैंक अकाउंट मे रख कर तथा समय पर खर्च न कर समय-समय पर अवरुद्ध रखा गया जो कि दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है |लेखापरीक्षाअवधि तक (05/2018) योजना के कार्पोरेशम बैंक, कालाढुंगी रोड, हल्द्वानी सेविंग अकाउण्ट No. SB /01/001433 (New No. 520101202299453) में कुल रू0 **3628732.00** ब्याज के रूप में जमा था तथा उक्त तिथि को कुल बैलेंस रू0 12691869.40 था। अतः ब्याज की धनराशि रू0 36.28 लाख को बैंक खाते में ही अवरूद्ध रखा गया था। उपनिदेशक (रेशम), हल्द्वानी कार्यालय द्वारा उक्त योजना की जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज `36.28 लाख के सन्दर्भ में रेशम निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि एकाउण्ट में अवशेष धनराशि अर्जित ब्याज से सम्बन्धित है तथा कुछ योजनाओं से सम्बन्धित है जिसे शीघ्र ही व्यय कर लिया जायेगा, निदेशालय के निर्देशानुसार उक्त खाते में अर्जित ब्याज के सम्बन्ध मे कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) के सम्बन्ध में अवगत कराया कि योजना से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय सूचना माहवार प्रेषित की जाती है।इकाई के उत्तर से स्वतः लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि योजना की धनराशि पर अर्जित ब्याज को सेविंग बैंक अकाउंट में अवरूद्ध रखा गया था तथापि इस सम्बन्ध में इकाई द्वारा उच्चाधिकारियों से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नही किये गये थे तथा आबंटित धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) निर्धारित प्रारूप जी0एफ0आर0–19ए पर निदेशालय कार्यालय का `प्रेषित नही की गयी थी।

अतः केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना (CDP) मे अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) प्रेषित नहीं किये जाने तथा योजना की धनराशि पर अर्जित ब्याज रू0 36.28 लाख को सेविंग बैंक एकाउन्ट में अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 : रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर ` 22.99 लाख के दायित्व (लाभार्थी अंश सहित) का सृजन व व्ययवर्तन ` 0.62 लाख।

प्रदेश के रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु भुगतान मे सहायता प्रदान करने के उद्देश से शासन द्वारा राज्य आयोजनागत योजना के अंतर्गत 07-13- रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रेशम कीटपालको से `1 प्रति डी0एफ0एल0 की दर से रेशम कीटाण्ड मूल्य कटोती करते हुए शेष रेशम कीटाण्ड मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार वहन किए जाने के प्राविधान है।

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि जनपद नैनीताल व उधम सिंह नगर मे रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु वर्ष 2015 से 2018 तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। लेकिन योजना के अनुसार बजट मे विगत तीन वर्षो से विभाग द्वारा प्राप्त आपूर्ति रेशम कीटाण्ड व उक्त के मूल्य के अनुसार अनुमान नहीं रखा गया था। जिस कारण से विभाग की आतिथि तक `22.99 लाख (`14.14 लाख मार्च 2017 तक व `8.85 लाख फसल वर्ष 2018 लाभार्थी अंश सहित) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार की देयता है। इस के अतिरिक्त लेखा अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 व 2016-17 के कई देयकों का भी भुगतान नहीं किया गया है। अभिलेखो की जांच मे आगे पाया गया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 मे कृषको से रेशम कीटाण्ड आपूर्ति की धनराशि सी0 आर0 सी0 द्वारा कार्यालय को केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार को भेजे जाने हेतु जमा नहीं किया गया है और न ही कार्यालय को अवगत कराया गया है कि लाभार्थी/कृषको से कुल कितना रेशम कीटाण्ड मूल्य (अंश) 2015-16 से 2017-18 तक लिया जाना लम्बित है जोकि विभागीय लापरवाही को परिलक्षित करता है। अभिलेखो मे आगे यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा ` 62074/- एरी रेशम कीटाण्ड आपूर्ति बिल संख्या 380 दिनांक 27-2-2017 का भुगतान केन्द्रीय सैक्टर योजना कार्यक्रम की धनराशि से किया गया था जोकि नियम विरूद्ध है जबकि इस का भुगतान लाभार्थी/कृषको अंश व राज्य सरकार से प्राप्त बजट धनराशि से वहन किए जाना था ।

इस और इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि कृषको से धनराशि प्राप्त करने हेतु संबन्धित फार्म/केन्द्र प्रभारियो को आदेशित किया गया तथा वसूली कार्य प्रगति पर है तथा `62074/- एरी रेशम कीटाण्ड आपूर्ति बिल संख्या 380 दिनांक 27-2-2017 का भुगतान केन्द्रीय

सैक्टर योजना/सी०डी०पी० कार्यक्रम की ब्याज धनराशि से किया गया था। कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर `22.99 लाख के दायित्व का सृजन (लाभार्थी अंश सहित) के कारण भविष्य मे लाभार्थी/कृषको को रेशम कीटाण्ड आपूर्ति मे बाधा होने कार्यालय द्वारा कृषको से धनराशि प्राप्त किए जाने मे लापरवाही बरती जाना व व्ययवर्तन `0.62 लाख का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

Assistance for silk worm seed													
वर्ष		**2015-16**			**2016-17**					**2017-18**			
जनपद		**Silk worm seed**	उपलब्ध/ प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि		**silk worm seed**	उपलब्ध/ प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि ` मे	***Total outstanding upto मार्च 2017 including beneficiary share as per CSB bills*** **`1.63लाख** **` 12.51 लाख**		**silk worm seed**	उपलब्ध/ प्राप्त धनराशि	बकाया धनराशि
नैनीताल	राज्य अंश @ 2-50	65500	`295000		राज्य अंश @ 5-50	65000	`6000	65000@5.5= `357500		राज्य अंश @5-50	61450	Nil	61450@5.5= **`337975**
उधमसिंह नगर		55500				56000		@5.5= `308000			60000		10300@5.5= **`330000**
		8920				9300@5		`46500			15967@5		=**`79835**
Total liability of State Share								`					`
नैनीताल	लाभार्थी अंश @ 1	65500	**Nil**	65500	लाभार्थी अंश @ 1	65000	**Nil**	65000		लाभार्थी अंश @ 1	61450	**Nil**	61450
उधमसिंह नगर		55500	**Nil**	55500		56000	**Nil**	56000			60000	**Nil**	60000
		8920	**Nil**	8920		9300	**Nil**	9300			15967	**Nil**	15967
योग			**Nil**	**`114820**			**Nil**	**`130300**				**Nil**	**`137417**
						liabilities upto 2017			**`14.14 लाख**	**liabilities for the crop year 2018**			**` 885227**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:4- चार वर्षो के उपरांत भी प्रशिक्षण हेतु खर्च किए गए ` 140700/= का समायोजन नही किया जाना।

उप निदेशक रेशम विभाग, हल्द्वानी की लेखा परीक्षा की जांच मे पाया गया हैं कि केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना के अंतर्गत कृषको को विशुद्धिकरण एवं पौधो के रखरखाव हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कार्यालय को निदेशालय से एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से 2013-14 एवं 2014-15 मे धनराशि प्राप्त हुई थी।कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्राप्त धनराशि मे से निम्न धनराशि को कार्यालय मे तैनात तत्कालीन निरीक्षण (रेशम) श्री देवेंद्र कुमार को प्रशिक्षण करवाने के लिए दे दी गयी थी।

क्रम.स.	**धनराशि**	**चैक स.**	**दिनांक**
1	20700	045613	12.02.2014
2	40000	046820	09.05.2014
3	40000	045301	13.05.2014
4	40000	045302	16.05.2014
योग	**140700**		

परंतु तत्कालीन निरीक्षण (रेशम) श्री देवेंद्र कुमार द्वारा प्राप्त धनराशि ` 140700/= के बिल / बाउचरों को लेखा परीक्षा तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यालय द्वारा 2014 से हर वर्ष उक्त कर्मचारी को केवल एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया हैं। अभिलेखों के अनुसार निदेशालय को भी इसकी सूचना नही दी गयी व न ही स्थानांतरण के समय कर्मचारी से no dues certificate लिया गया। न ही कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अत: चार वर्षो के उपरांत भी प्रशिक्षण हेतु खर्च किए गए ` 140700/= का समायोजन नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:5- अनुसूचित जनजाति (टी0एस0पी0) के अंतर्गत सघन बाईवोल्टीन रेशम विकास योजना के नियमो का अनुपालन न करना एवं ` 48.74 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को नही भेजा जाना।

उप निदेशक रेशम विभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत केंद्र पोषित सी0 एस0 एस0 योजना मे बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर मे अनुसूचित जनजाति (टी0एस0पी0) मे सघन बाईवोल्टीन रेशम विकास योजना संचालित की जा रही हैं। जिसकी स्वीकृत राशि ` 1269.60 लाख थी। जिसके तहत योजना को संचालित करने हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 मे निदेशालय, रेशम विभाग, उत्तराखंड देहारादून के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यालय को ` 553.85लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमे से अभिलेखों के अनुसार ` 88.45 लाख का व्यय दर्शाया गया हैं।

अनुसूचित जनजाति (टी0एस0पी0) के अंतर्गत सघन बाईवोल्टीन रेशम विकास योजना के अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

1. Creating awareness among the social weaker section and women about their rights and responsibilities in the society and to remove the social biasness and prejudices about women.
2. Upgrading skills of stakeholders, especially women and providing them appropriate technology for taking up production activities.
3. Improving managerial abilities for including management of group activities in economically viable manner.
4. Generating income of the target groups through Sericulture.
5. Creating sustainable livelihood.

उक्त योजना से संबन्धित Detailed Project Report (DPR) के अनुसार योजना दो वर्षो 2015-16 से 2016-17 के लिए थी। जिसमे कुल स्वीकृत धनराशि ` 1269.60 लाख के सापेक्ष केन्द्रीय सहायता,MGNREGS/State एवं लाभार्थीयों के द्वारा क्रमश: `1091.94 लाख, `82.49 लाख, एवं `95.17 लाख व्यय किया जाना हैं। निम्न लिखित सारणी के कार्यो हेतु धनराशि एक वर्ष से प्राप्त होने के उपरांत भी कोई कार्य नही किया गया हैं।

(`लाख मे)

क्रम.स.	स्कीम / मद का नाम	इकाई लागत	प्राप्त कुल धनराशि	व्यय	भौतिक प्रगति	
					लक्ष्य	उपलब्धि
1	किटपालको हेतु भ्रमण	0.02	1.50	....	75	....
2	महिलाओं हेतु स्वास्थ्य कीट	0.25	3.75	....	15	....
3	महिलाओं हेतु समूह विचार-विमर्श / कैम्प	0.05	1.20	.....	24	....
		योग	**6.45**			

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर द्वारा जारी की गयी केन्द्रीय पोषित योजना के अंतर्गत टी0एस0पी0 की गाइड लाइंस के अनुसार-

- Funds under the project shall be deposited in separate bank account and the interest accrued on the project funds shall be used for the project activities only.
- Project Implementing Agencies shall be responsible for periodical review of progress, internal monitoring and evaluation of targets in the field besides identifying beneficiaries, location of infrastructure, developing linkages, consolidation of project outcome and maintenance/ sustenance of the project activities after the project period.
- State Govt/Implementing agency shall co-operate in undertaking field inspections, impact studies, social audit, third party monitoring & evaluation as per Central Sector guidelines.

  कार्यालय के अभिलेखो मे पाया गया कि इस योजना के लिए अलग से बैंक खाता नही खोला गया हैं एवं उप निदेशक द्वारा कोई भी निरीक्षण नही किया गया हैं व न ही सोशल ऑडिट किया है

रेशम निदेशालय उत्तराखंड, देहरादून द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार धनराशि को व्यय करने मे कड़ाई से गाइड लाइंस का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

- लाभार्थियों के पी0आई0एस0 विवरण जिसमे लाभार्थियों के फोटोग्राफ, पूर्ण पता, मोबाइल न0, आधार संख्या, बैंक खाता इत्यादि का विवरण अंकित हो, निदेशालय को उपलब्ध कार्य।
- धनराशि के व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब उपलब्ध करा दिये जाय
- प्रत्येक योजना/मद की वित्तीय व भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह के अंत मे मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

कार्यालय द्वारा व्यय की गयी ` 88.45 लाख की धनराशि मे से ` 39.71 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही निदेशालय को भेजा गया हैं। कार्यालय द्वारा क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत रेशम कृषकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम मद से कृषको/लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। जिसमे ` 10.11 लाख प्राप्त हुए हैं तथा ` 7.58 लाख व्यय दर्शाया गया हैं। दिनांक 22.05.2018 से 24.05.2018 तक चाकी रेशम किटपालन केंद्र भूड़ी एवं चाकी रेशम किटपालन केंद्र बरहैनी मे विशुद्धिकरण प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया जिसमे कुल 337 लाभार्थियों मे भाग लिया जबकि उपस्थिती पंजिका मे 352 लाभार्थियों को दर्शाया गया हैं। एवं 352 के ही हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा अधिकतर लाभार्थियों के मोबाइल न0 एवं आधार संख्या नही दर्शाई गयी हैं।

उक्त के ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारणी के मदो मे प्राप्त धनराशि ` 6.45 लाख के कार्य को किए जाने का प्रयास किया जा रहा हैं। अलग से बैंक खाता के संबंध मे बताया गया कि कार्यालय द्वारा निदेशालय से अनुमति मांगी गयी हैं जो आतिथि तक प्राप्त नही हुई हैं। कार्यावस्थता के कारण सोशल ऑडिट नही किया गया हैं व न ही third party monitoring & evaluation किया जा सका हैं। ` 39.71 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजा गया हैं। उपस्थिती पंजिका मे वास्तविक संख्या से लाभार्थियों की संख्या अधिक दर्शाये जाने के संबंध मे बताया गया हैं कि भविष्य मे इसका ध्यान किया जाएगा। कार्यालय के उत्तर मान्य नही हैं। क्योकि करीब एक वर्ष से ` 6.45 लाख की धनराशि अवरुद्ध पड़ी हैं। टी0एस0पी0 योजना हेतु अलग से बैंक खाता होना चाहिए था। सोशल ऑडिट तथा third party monitoring & evaluation किया जाना चाहिए था। एवं खर्च की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजा जाना चाहिए।

अत: अनुसूचित जनजाति (टी0एस0पी0) के अंतर्गत सघन बाईवोल्टीन रेशम विकास योजना के नियमो का अनुपालन न करना एवं ` 48.74 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को नही भेजे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-6: वित्तीय नियमो के विरुद आउट सोर्सिंग से स्वीकृत पदो से अधिक 10 कार्मिक रखे जाना व अन्य जिलो मे सृजित निरीक्षक के पद रिक्त होने के बावजूद भी कार्यालय मे स्वीकृत पद से अधिक कार्मिक कार्यरत।

कार्यालय के संगठनतमक ढाँचा मे शासनादेश संख्या 1506 दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 द्वारा पुनरीक्षित कर पुनर्गठित किया गया है। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे 46 स्वीकृत पदो के सापेक्ष मे 28 स्थाई कर्मचारी कार्यरत है। उपलब्ध अभिलेखो व कार्यालय द्वारा प्रोफॉर्मा मे प्रस्तुत विवरण के अनुसार यह पाया गया कि योजनाओ के क्रियान्यवन व उददेशों की पूर्ति व सफलता प्राप्ति हेतु 20 पद आउट सोर्सिंग से भरे गए थे जबकि स्वीकृत पदो के अनुसार आउट सोर्सिंग से कार्यालय द्वारा 10 अधिक कार्मिक रखे गए है जो वित्तीय नियमो के विरुद्ध है। अभिलेखो की जांच मे यह भी सज्ञान मे आया कि कार्यालय द्वारा 10 अधिक कार्मिक अन्य जिलो मे रिक्त पदो के सापेक्ष नियुक्त किए है जबकि इन जिलो (बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चम्पावत) मे योजनाओ के क्रियान्यवन व उददेशों की पूर्ति व सफलता प्राप्ति हेतु इन कार्मिको की अति आवश्यकता थी/है। अभिलेखो मे आगे यह भी पाया गया कि कार्यालय मे निरीक्षक के 3 पद सृजित है व इस पद पर 4 स्थायी कर्मचारी कार्यरत है जबकि अन्य जिलो मे आतिथि पर (5/2018) निरीक्षक के 5 पद खाली है जिसको कार्यालय मे अधिक कार्यरत कार्मिक से भरा जा सकता था/है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर लेखा परीक्षा को नहीं दिया। कार्यालय का उत्तर न दिया जाना स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: सृजित पद के सापेक्ष अधिक कार्मिक कार्यरत किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

Manpower Deployment

Name of the Department/DDO:- Deputy Director (Seri) Haldwani-Nainital

(Dist. Nainital and U. S. Nagar)

Year	Post	Sanctioned strength (SS)	Person-in-Position (PIP)	Shortfall (% to col.3)	Total availability (col.4+6)/(% to col.3)	Contractual appointment	Excess
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2015-16 to 2017-18	Deputy Director (seri)	01	01	-	01	-	
	Assistant Director	02	01	01	01	-	
	Head Assistant	01	02	0	02	-	
	Inspector	03	04	0	04	-	
	Stenographer -II	01	01	0	01	-	
	Senior Assistant	01	0	01	0	-	
	Demonstrator	08	06	02	06	-	
	Junior Assistant	03	01	02	01	-	
	Co-operative Supervisor	01	01	0	01	-	
	Driver	02	01	01	01	-	
	Seed Examiner	02	0	02	-	02	0
	Head Keetpalak	03	01	02	01	0	
	Keetpalak	08	04	04	04	09	05
	Gardner	03	02	01	02	01	0
	Peon	04	01	03	01	05	04
	Watchman	03	02	01	02	03	01
	Total	46	28	20		20	10

भाग– ।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर संख्या
01	123/2004-05	-----	1
02	187/2008-09	-----	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

उक्त निरीक्षण प्रेतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **उप निदेशक, रेशम ,हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)**शून्य**

(ii)

(iii)

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)**शून्य**

(ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री अरविन्द ललौरिया	उप निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उप निदेशक, रेशम, हल्द्वानी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र –।।